प्रदेश में खुलेंगे 5 वशिेष न्यायकि मजस्टि्रेट न्यायालय

चर्चा में क्यों?

18 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में 5 वशिेष न्यायकि मजस्टि्रेट न्यायालय खोलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। मुख्यमंत्री के इस नरि्णय से न्यायालय में लंबति प्रकरणों का जल्द नसि्तारण हो सकेगा।

प्रमुख बदिु

- प्रस्ताव अनुसार अजमेर, उदयपुर, जयपुर महानगर प्रथम, जयपुर महानगर द्वतिीय व जोधपुर महानगर में पायलट स्टडी के रूप में वशिेष न्यायकि मजस्टि्रेट (एन.आई. एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले जाएंगे।
- प्रत्येक न्यायालय में सेवानवि्त्त न्यायाधीश सहति कुल 10 वभिनि्न पदों पर फकि्स मानदेय के आधार पर सेवाएँ ली जाएंगी। इन न्यायालयों की समयावधि 09.2022 से 31.08.2023 तक एक वर्ष की होगी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के उन ज़लिों में, जहाँ एन.आई. एक्ट प्रकरणों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पायलट स्टडी वशिेष न्यायालय खोले जाने हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-judicial-magistrate-court-will-open-in-the-state